

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-221/2012/32
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2014

1. कलेक्टर,
जिला छिंदवाड़ा ।
2. सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय छिंदवाड़ा ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत छिंदवाड़ा ।
4. मुख्य नगर पालिक अधिकारी
नगर पालिका परिषद
छिंदवाड़ा ।

विषय :- छिंदवाड़ा विकास योजना 2011 में उपांतरण बाबत ।

राज्य शासन ने छिंदवाड़ा विकास योजना 2011 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है ।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चरप्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें ।

संचालनालय संलग्न :- यथापरि

नगर तथा ग्राम निवेश

आवक क्रमांक 1194

दिनांक 15/9/14

शासन J.S. [Signature]

✓ TC

अधीक्षक आयुक्त

पृ0क0-एफ 3-221/2012/32

प्रतिलिपि :-

आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित ।

(एस के मुदगल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 9/9/2014

(एस के मुदगल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

[Signature]
17/9
D.P. [Signature]

15/9/14

Adm
[Signature]
17/9

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक १-१-2014

क्रमांक-एफ-3-221/2012/32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम(संशोधित) 1973 (क्रमांक -1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसराक्र	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम खापाभाट	35 142	1.06 हे० 1.00 हे०	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक के अन्तर्गत शैक्षणिक	आवासीय
		योग-	2.06 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा।

एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो उम्र विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

विष्णुनाथ सिंह

(वर्षा नावलेकर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

5/9/2011 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MINISTRY

Notice for modification in development Plan


Bhopal, Dated ...9-9-14.

No. F-3-221/2012/32 In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (No. 1 of 2012), The State Government hereby notify The proposal of following modifications for Public information, in the Chhindwara Development Plan, 2011 as Specified in the Schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (in Hac.)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram Khapabhat	35, 142	1.06 Hec. 1.00 Hec.	Public and semi-public (Education)	Residential
		Total	2.06 Hec.		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Asst. Director, Town and Country Planning, Chhindwara as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
 Governor of Madhya Pradesh,

 (Varsha Naolekar)
 Deputy Secretary
 Government of Madhya Pradesh
 Urban Development And Environment
 Department